रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1921] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936
No. 1921] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2443 (अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2572 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 2011 द्वारा राजस्थान प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (नया रारा–58) के 177.000 कि.मी. से 260.100 कि.मी. (गोमती का चौराहा–उदयपुर सेक्शन) तक का भूखण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (नया रारा–58) के 177.000 कि.मी. से 260.100 कि.मी. तक गोमती का चौराहा–उदयपुर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु 06.03.2012 को प्रस्तुत की गई बोलियों के लिए मैसर्स श्रीनाथजी–उदयपुर टोलवे प्रा० लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ''सद्भाव हाउस'' लॉ गार्डन पुलिस चौकी के सामने एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात, भारत में है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3, जिसे तारीख 05.12.2008 की सा.का.नि. 838 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 68.442 कि.मी. के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 1.668 कि.मी. की लम्बाई वाले पुलों/संरचनाओं, जिनकी लागत पचास करोड़ रुपए या अधिक है के लिए सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर, तथा 9.200 कि.मी. लम्बाई के बाइपास जिसकी लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है, के लिए सारणी 1 में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यक प्रचालन की तारीख

को और उस तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

IndiaCode

सारणी 2

शुल्क की ''आधार दर'' प्रतिवाहन प्रति यात्रा (रुपए में)						
स्थायी पुल अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	बस या ट्रक	तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन	भारी संनिर्माण मषीनरी (एचसीएम), अर्थमूविंग उपस्कर (इएमइ) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी)	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक दूरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रूपए से अधिक और दो सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दर हेतु, शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा–8 (नया रारा–58) का 187.244 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 187.999 कि.मी.) (राजसमंद जिले में मंडवाड़ा गांव के पास)	34.310
रारा–8 (नया रारा–58) का 238.170 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 238.128 कि.मी.) (राजसमंद जिले नगड़िया गांव के पास)	34.132

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए बाइपास के विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा ।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
रारा–8 (नया रारा–58) का 238.170 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 238.128 कि.मी.) (राजसमंद जिले में नगड़िया गांव के पास)	देलवाड़ा और एकलिंगजी बाइपास–रारा–8 के 239.010 (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 239.900 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर 248.210 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 251.550 कि.मी.) पर मिलते हुए	9.200

IndiaCode

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना/(संरचनाओं), जिनकी लागत नीचे दी गयी है, के उपयोग के लिए सारणी 2 में उल्लिखित आधार दर पर निम्नलिखित शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं), पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	स्थायी पुल/संरचना का नाम तथा अवस्थान	पुल/संरचना की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
		लम्बाई	लागत
रारा–8 (नया रारा–58) का 238.170 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 238.128 कि.मी.) (राजसमंद जिले में नगड़िया गांव के पास)	219.775 कि.मी. से 220.993 कि.मी. तक नाथवाड़ा उथित सड़क	1.218 कि.मी.	69.23 रु.
	251.955 कि.मी. से 252.405 कि.मी. तक चिड़वाघाट सुरंग	0.450 कि.मी.	100.83 रु.

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. ऐसा यांत्रिक वाहन जो अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करवाने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भगतान करना होगा। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तब कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर को संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/748/12–13/सीओ/जीसी उदयपुर (177.00––260.10) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O.2443 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway number S.O. 2572 (E), dated 14th November, 2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 177.000 to kilometer 260.100 (Gomti ka Chauraha - Udaipur Section) of NH - 8 (New NH-58) in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Shreenathji – Udaipur Tollway Private Limited having its registered office at "Sadbhav House" Opp Law Garden Police Chowki, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 06.03.2012 for the development of the Gomati Chauraha - Udaipur section from Km 177.000 to Km

260.100 of NH - 8 (New NH – 58) in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the "said section") to four lane and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838 (E) dated 05.12.2008 and its amendment till bid submission date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said national highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 68.442 kms for use of the four and more lane (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures having length of 1.668 km and costing Rupees Fifty crore or more and at one and half times of the base rate specified in Table 1 for bypass of 9.200 km costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

TABLE 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Bus or Truck (Two Axles)	Three-axle commercial vehicles	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	Oversized Vehicles (seven or more axles)
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 187.244 (design chainage) (existing chainage km 187.999) of NH - 8 (New NH – 58) (Near Mandawada Village in Rajsamand District)	34.310
Km 238.170 (design chainage) (existing chainage km 238.128) of NH - 8 (New NH – 58) (Near Negadiya Village in Rajsamand District)	34.132

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass at the following Toll Plaza at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable
Km 238.170 (design chainage) (existing chainage km 238.128) of NH - 8 (New NH – 58) (Near Negadiya Village in Rajsamand District)	Delwara & Eklingji Bypass taking off at km. 239.010 (design chainage) (existing chainage km 239.900) and joining at km. 248.210(design chainage) (existing chainage km 251.550) of NH-8	9.200

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s) at the base rate mentioned in Table 2 above, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name and location of permanent bridge/structure	Length (in km) and Cost of bridge /structure (Rupees in crore) for which additional fee is payable	
		Length	Cost
Km 238.170 (design chainage) (existing chainage km 238.128) of NH - 8 (New NH – 58) (Near Negadiya Village in Rajsamand District)	Nathdwara Elevated Road from km 219.775 to km 220.993	1.218 km	Rs 69.23
	Chirwaghat Tunnel from km 251.955 to km 252.405	0.450 km	Rs 100.83

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

10. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of Fee.

[NHAI/13013/748/12-13/CO/GC Udaipur (177.00-260.10) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054